सत्यमेव जयते

पंचदश

बिहार विधान-सभा

अष्टम् सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग–4

वृहस्पतिवार, तिथि 30 फाल्गुन, 1934 (श०) / 21 मार्च, 2013 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 101

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग	.. ..	25
(2) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	.. ..	15
(3) कृषि विभाग	.. ..	09
(4) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	.. ..	11
(5) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	.. ..	07
(6) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	.. ..	28
(7) सहकारिता विभाग	.. ..	05
(8) विधि (धार्मिक न्यास) विभाग	.. ..	01
	कुल योग ..	101

भुगतान कराना

'क'-*2554. श्रीमती गुड्डी देवी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा अंचल के भवदेपुर एवं डुमरा अंचल के रामनवमी क्षेत्र बोहा टोला में वर्ष 2008 में आगजनी की घटना हुई थी जिसमें मेला ठीकेदार को 7 लाख रुपये की क्षति हुई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आगजनी की घटना के संबंध में तत्कालीन राजस्व मंत्री के द्वारा जिलाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गई थी;

(3) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी समाहर्ता के पत्रांक 31350, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रतिवेदन दिया गया जिसमें मेला ठीकेदार को सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया था;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त आगजनी की घटना में मेला ठीकेदार को अभीतक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने का क्या औचित्य है ?

प्रयोगशाला खोलना

*3174. श्री राम बालक सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के लोगों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु अनुमंडलों में जांच प्रयोगशाला खोलने का निर्णय वर्ष 2010 में लिया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समस्तीपुर जिला के रोसड़ा एवं दलसिंहसराय अनुमंडलों में भी जांच प्रयोगशाला खोलने का विचार रखती है यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

टाउन हॉल बनाना

*3175. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिले के मढ़ौड़ा नगर पंचायत की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत मढ़ौड़ा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के सफल संचालन हेतु कोई टाउन हॉल नहीं है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मढ़ौड़ा नगर पंचायत में एक टाउन हॉल बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरित करना

*3176. श्री बीरेन्द्र सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के मानपुर प्रखंड अन्तर्गत फल्गु नदी पर सीक्स लेन पुल का शिलान्यास दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने भुसुन्डा मेला ग्राउंड की भूमि पर स्टेडियम निर्माण की घोषणा की थी, परन्तु उक्त सरकारी जमीन की आत्मा राम एवं संजय प्रसाद सहित 50 व्यक्तियों के कब्जे में है, जिससे स्टेडियम निर्माण कार्य संभव नहीं हो पा रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सरकारी जमीन को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराकर उसे स्टेडियम निर्माण के लिए स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'--दिनांक 15 मार्च, 2013 को सदन द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित ।

निर्माण कराना

*3177. श्री राम सेवक सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009 में निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक अनुमंडल में एक विद्युत् ताप शव-दाह गृह का निर्माण कराया जायेगा;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के हथुआ अनुमंडल एवं गोपालगंज अनुमंडल में अभीतक विद्युत् ताप शव-दाह गृह का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे दाह कर्म करने में काफी कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त अनुमंडल में विद्युत ताप शव-दाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*3178. डॉ० रामानन्द यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा नगर पंचायत के वार्ड नं० 20 में एन०एच० 30 से सटे श्री राम बाबू पासवान के घर से श्री बिन्देश्वर सिंह के घर तक सड़क एवं नाला निर्माण नहीं हुआ है, बरसात के दिनों में रास्ता जलमग्न हो जाता है, जिसके कारण वहां के निवासियों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क एवं नाला का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारगर कदम उठाना

*3179. श्री संजय सिंह टाइगर- स्थानीय हिन्दी दैनिक में दिनांक 16 फरवरी, 2013 को प्रकाशित शीर्षक ''सिस्टम पी गया पेयजल'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना कार्यक्रम के तहत आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं आयरन से दूषित भू-जल को शुद्ध करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2010--13 में 396.51 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध कराई गई थी, इस योजना को क्रियान्वयन के लिए 24,420 टोलों का चयन भी हुआ था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त लक्ष्य के विरुद्ध 1375 टोलों को ही उक्त योजना के कार्यक्रम के तहत शामिल किया जा सका है, जिसके कारण यह महत्वाकांक्षी योजना प्रभावहीन हो गयी है और लोग दूषित पानी पिने को मजबूर है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूरी उपलब्ध राशि को खर्च कर शेष बचे टोलों में शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन-सा कारगर कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*3180. श्री सबा जफर--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006-07 से राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शौचालय एवं चापाकल का निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी मदरसों को उक्त योजना के लाभ से वंचित रखा गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के मदरसों में चापाकल एवं शौचालय का निर्माण कराने पर विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*3181. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक सामाचार-पत्र के दिनांक 29 नवम्बर, 2012 के अंक में छपी खबर के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में खाद्यान के भंडारण के लिए 14.78 लाख मिट्रिक टन क्षमता के गोदामों की आवश्यकता के विरुद्ध मात्र 4.35 लाख मिट्रिक टन क्षमता के ही गोदाम उपलब्ध है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा 135 गोदामों का निर्माण किया गया है जिसमें गुणवत्ता की उपेक्षा की गयी है और इसी के परिणामस्वरूप मधुबनी सहित चार स्थानों पर बनाए गए गोदाम उद्घाटन के पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो गये हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोदामों के निर्माण में गड़बड़ी करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करते हुए आवश्यकता के अनुसार गोदामों के निर्माण कराने का विचार रखती है,यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

पदस्थापित करना

*3182. श्री अरूण शंकर प्रसाद- क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला सहकारिता विभाग में प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी के कुल 21 सृजित पदों के विरुद्ध मात्र 08 तथा सहायक निबंधन सहकारिता पदाधिकारी के विरुद्ध मात्र एक कार्यरत हैं,

(2) क्या यह बात सही है कि जिले में उक्त पदाधिकारियों का पद रिक्त रहने के कारण पैक्सों के माध्यम से किसानों से धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त जिला में रिक्त पदों पर पदाधिकारियों को पदस्थापित करना चाहती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री- (1) आँशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिले में कुल 21 प्रखण्डों में से 1 प्रखण्ड यथा कलुआही को छोड़कर 20 प्रखण्डों में प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद सृजित हैं, जिसके विरुद्ध 9 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पदस्थापित एवं कार्यरत हैं । इन्हें ही अतिरिक्त प्रभार देकर अन्य सभी प्रखण्डों का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है ।

सहकारिता विभाग अन्तर्गत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के लिए 1884 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 512 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कार्यरत हैं । इस कार्यरत बल (512) में से 224 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी तथा कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्त हैं । इस प्रकार सहकारिता विभाग में मात्र 288 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी विभागीय कार्य हेतु उपलब्ध हैं । सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के अत्यल्प कार्यबल के कारण नियमित रूप से प्रखण्डों में प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का पदस्थापना नहीं हो पा रहा है ।

विभागीय पत्रांक 4026, दिनांक 20 जुलाई, 2010 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को 692 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु अधियाचना पूर्व में ही भेजी जा चुकी है । इस क्रम में नयी नियुक्तियों के पश्चात् ही प्रखण्डों में नियमित रूप से प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की पदस्थापना की जा सकेगी ।

जहाँतक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का प्रश्न है, मधुबनी जिलान्तर्गत सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कुल तीन पद सृजित हैं, जिनके विरुद्ध एक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बेनीपट्टी के पद पर कार्यरत हैं तथा सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधुबनी एवं झंझारपुर के अतिरिक्त प्रभार में क्रमशः जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी कार्यरत हैं ।

(2) अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि गत खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में दिनांक 12 मार्च, 2012 तक मधुबनी जिले में कुल 24,280 मिट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई थी, जबकि वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2012-13 में दिनांक 12 मार्च, 2013 तक कुल 28,336 मिट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है ।

(3) उपरोक्त खण्ड (1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

पेयजल का निदान

*3183. श्री प्रदीप कुमार- क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखण्ड के ग्राम- अब्दालपुर में जल स्तर काफी नीचे रहने से पेयजल का घोर अभाव हो गया है, यदि हां, तो सरकार कबतक इसका निदान करने का विचार रखती है ?

मुआवजा देना

*3184. श्री अरूण माँझी– क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नया टोला, कुम्हरार में अवस्थित 41 डीसमील जमीन जिसका खाता नं० 216, थाना नं० 12, प्लॉट नं० 3 खतियानी रैयती (जमीन) श्री राजकिशोर यादव, श्याम नन्दन यादव एवं रामलखन यादव के नाम से जमाबन्दी संख्या 6051 एवं 6052, दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 तक अवस्थित था;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड कार्यालय खोलने हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा ज्ञापांक सं० 1444, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को नोटिस भेजी गयी एवं दिनांक 12 जनवरी, 2011 को 41 डीसमील जमीन का चाण्ड्री ध्वस्त कर दिया गया, जिसका आजतक मुआवजा नहीं दिया गया है, यदि हां, तो सरकार कबतक उक्त जमीन मालिकों को मुआवजा देने का विचार रखती है ?

अनुपालन नहीं करने का औचित्य

*3185. श्री श्रवण कुमार– क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 24/2011 में दिनांक 30 अगस्त, 2011 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ अंचलाधिकारी, सूर्यगढ़ा (लखीसराय) को अनुमण्डल पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा पत्रांक 1606, दिनांक 19 सितम्बर, 2011 से निर्देशित किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पारित आदेश का अनुपालन अंचलाधिकारी, सूर्यगढ़ा द्वारा अभीतक नहीं किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अंचलाधिकारी, सूर्यगढ़ा द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करने का क्या औचित्य है ?

निर्माण कराना

*3186. श्री अख्तरूल इसलाम शाहिन– क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत नगर परिषद, समस्तीपुर के वीर कुँवर सिंह कॉलोनी, आर्य समाज रोड, बंगाली टोला सहित कई मुहल्लों के बीचो-बीच निर्मित नाले का स्लैब विगत दो वर्षों से क्षतिग्रस्त है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नालों के क्षतिग्रस्त स्लैब का निर्माण कार्य कराना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3187. श्री अमन कुमार— क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखण्ड में लोक स्वा० अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 2006 में किए गए सर्वे के अनुसार बाराहाट, प्यालापुर, महेशपुर,कितनिया, श्रीमतपुर, गोखुलीचक, खवासपुर, गोरहटा, मोहनपुर एवं परसुरामपुर गाँवों में ऊपरी सतह के पानी में आर्सेनिक पायी गई है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गाँवों के निवासियों को आर्सेनिक युक्त पानी पीने से बचाने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*3188. डॉ० कृष्णनन्दन यादव— क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के अतरी विधान-सभा क्षेत्र में अतरी प्रखण्ड में ग्राम क्रमशः नरावर, चहल मुडेरा, जीरी, विहरी, नान्दू विगहा, जेहली विगहा सहित 25 ग्रामों में वर्ष जुलाई, 2012 में पशुओं को टीका नहीं दिया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गया जिला के नीमचक बथानी अनुमंडल के अतरी प्रखण्ड में उक्त ग्रामों में जानवरों को टीका देने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि की वसूली

*3189. श्री रामदेव महतो— क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008-09 में मधुबनी जिला के मधुबनी में नगर परिषद् होल्डिंग टैक्स का विद्युत् बोर्ड प्रमण्डल, मधुबनी के यहाँ 2 करोड़ 52 लाख की राशि बाकी है एवं विद्युत् प्रमण्डल, मधुबनी का विद्युत् मद में 1 करोड़ 40 लाख रुपया नगर परिषद्, मधुबनी के यहाँ बाकी था;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में विद्युत् प्रमण्डल, मधुबनी मैचिंग ग्रान्ट के तहत उक्त विद्युत् मद की काट ली गई, परन्तु होल्डिंग टैक्स की राशि नहीं दी गयी है, जिससे नगर परिषद् कर्मियों का वेतन एवं अन्य कार्य बाधित हैं, यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत् प्रमण्डल, मधुबनी से राशि वसूलने हेतु अबतक क्या कार्रवाई की गयी है ?

उपलब्ध कराना

*3190. श्रीमती गुलजार देवी— क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत नगर पंचायत घोघरडीहा के कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 18, दिनांक 2 मार्च, 2006, 45, दिनांक 28 अप्रील, 2006, 90, दिनांक 22 जून, 2006, 134, दिनांक 10 सितम्बर, 2006, 176 दिनांक 24 अगस्त, 2007, 59, दिनांक 1 मार्च, 2008 एवं पत्रांक 41/मु०, दिनांक 5 अक्तूबर, 2009 द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत ऋण-सह-अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(2) यदि खण्ड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कबतक उक्त मद में राशि उपलब्ध करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कराना

*3191. श्री रामदेव महतो— क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत हल्दी एवं आदी की खेती बढ़ाने हेतु दो करोड़ राशि दी गयी एवं ओल की खेती करने के प्रोत्साहन हेतु दो ट्रक ओल मई, 2012 में दी गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक खण्ड (1) में कार्य नहीं किया गया, नहीं हल्दी, आदी एवं ओल का खेती हेतु वितरण किया गया;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है ?

पदों को भरना

*3192. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह- क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं० 1011, दिनांक 13 अप्रील, 2006 एवं राज्यादेश संख्या 1579, दिनांक 26 जुलाई, 2005 द्वारा संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ के 11 संवर्गीय तथा 5 गैर-संवर्गीय कुल 16 आवश्यकता आधारित सृजित पदों के विरुद्ध सम्पूर्ण बिहार में मात्र 2 पदाधिकारी ही कार्यरत हैं, जिस कारण विभागीय कार्यों का ठीक से पर्यवेक्षण नहीं हो पा रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संवर्गीय पदों से प्रोन्नति के पदों को भरना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3193. श्री मंजीत कुमार सिंह- दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 6 जनवरी, 2013 को छपे खबर ''शौचालय निर्माण का पैसा अब लाभुकों के खाते में'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने यह निर्णय लागू कर दिया है कि शौचालय निर्माण का पैसा अब सीधे लाभुकों के खाते में ही दी जायेगी;

(2) क्या यह बात सही है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा शौचालय निर्माण हेतु 3500 रु० से बढ़ोतरी कर 5500 रु० कर दी गई है, जिसमें 4600 रु० सरकार देगी तथा 900 रु० लाभार्थी के लिये देय होगा;

(3) क्या यह बात सही है कि सभी वर्गों के घरों में शौचालय बनाने हेतु 4500 रु० मनरेगा के राशि से दी जायेगी तथा हर लाभुकों को बैंकों में खाता खोलने हेतु लोक स्वा० अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया था;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अबतक शौचालय निर्माण का पैसा लाभुकों के खाते में नहीं देने का क्या औचित्य है, इसके लिये दोषी पदाधिकारी पर सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

चालू कराना

*3194. श्री अजीत कुमार--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 10 वर्ष पूर्व पूरे राज्य में सरकार के द्वारा 11,620 पशु गर्भाधान केन्द्र का निर्माण किया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के कमी के कारण पूरे राज्य में मात्र 20 प्रतिशत ही पशु गर्भाधान केन्द्र संचालित है एवं 80 प्रतिशत केन्द्र आज भी बन्द पड़ा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को बहाल कर उक्त सभी बन्द पड़े केन्द्रों को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3195. श्री राजेश्वर राज--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है रोहतास जिला के विक्रमगंज नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं० 15 में वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रो० श्यामसुन्दर सिंह के घर से विक्रमगंज डेहरी मुख्य पथ तक नाला निर्माण मद में 2 लाख की योजना की स्वीकृति दिखाकर, धरातलीय कार्य कराये बिना कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा फरवरी, 2010 में पूरी राशि निकाल ली गयी है, यदि हां, तो सरकार इसकी जाँच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*3196. श्री चन्द्रशेखर हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 20 जनवरी, 2013 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''मक्का को 40 फीसदी नुकसान'' के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि अत्यधिक ठंड के कारण मधेपुरा जिला में 6,000 (छः हजार) एकड़ में लगी मक्का की फसल दिसम्बर, 2012 में बर्बाद हो गई है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मक्का फसल के बर्बादी से पीड़ित किसानों को समुचित मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर की सम्पत्ति बचाना

*3197. श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, विधि (धार्मिक न्यास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखण्ड के साढ़वारा, चहपुरा शिव मंदिर की भूमि एवं उसकी सम्पत्ति के देख-रेख बिना वहां की जमीन जिसका खाता नं० 186, सर्वे नं० 48, रकवा आठ कट्ठा । धूर, । खाता सं० 186 सर्वे नं० क्रमशः 48246,247, रकवा, 5 बीघा 11 कट्ठा 7 धूर 15 स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मंदिर की भूमि एवं सम्पत्ति को बचाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखण्ड के साढ़वारा, चहपुरा शिव मंदिर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित नहीं है ।

माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न में वर्णित ब्यौरा की चल-अचल सम्पत्ति के संबंध में अंचलाधिकारी, इसुआपुर (सारण) एवं जिला पदाधिकारी, सारण को जाँच कर वस्तुस्थिति से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अवगत कराने का अनुरोध अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना ने अपने पत्र संख्या 2080, दिनांक 8 मार्च, 2013 द्वारा किया है ।

(2) अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

कार्रवाई करना

*3198. श्री राजेश सिंह– हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 30 जनवरी, 2013 को ''राज्य खाद्य निगम के गोदाम में सड़ रहा गरीबों का 3800 सौ क्विंटल अनाज'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी शहर के खाद्य निगम की कोल्हुअरवा मुहल्ले के गोदाम में हुक्मरानों व कालाबाजारियों की वजह से 3,800 सौ क्विंटल अनाज सड़ रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गोदाम को जिला प्रशासन ने 30 अगस्त, 2011 को छापेमारी कर खाद्यान्न को जब्त कर लिया गया है, फिर भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 3,800 क्विंटल अनाज को सड़ाने वालों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्त करना

*3199. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गुरुआ विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत गुरारू प्रखण्ड एवं परैया प्रखण्ड में विगत दो वर्षों से मार्केटिंग पदाधिकारी नहीं है, अंचलाधिकारी कार्यभार में है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित दोनों प्रखण्डों में अलग अलग एम०ओ० नियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अस्पताल खोलना

*3200. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंडों में प्रथमवर्गीय पशु अस्पताल खोलने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि 12 साल से कार्यरत बेगूसराय जिला के मटिहानी विधान सभा के अन्तर्गत शाम्हो प्रखंड में पशु अस्पताल संचालित नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में प्रथमवर्गीय पशुधन अस्पताल खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3201. श्रीमती नीता चौधरी—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड अन्तर्गत मुख्य मंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के अंतर्गत किसानों के बीच कृषि बीज का वितरण नहीं किया गया है, जबकि बीज वितरण की अवधि अक्टूबर, नवम्बर, 2012 में ही समाप्त हो गया है;

(2) यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*3202. श्रीमती नीता चौधरी—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर विधान सभा क्षेत्र के किसी भी प्रखण्ड यथा असरगंज, तारापुर, ह० खड़गपुर एवं टेटिया बम्बर में राजस्व गाँव का नक्शा नहीं है, जिससे किसानों के बीच जमीन से संबंधित उत्पन्न विवाद के निराकरण में काफी परेशानी होती है;

(2) यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तारापुर विधान-सभा क्षेत्र के सभी प्रखण्डों में राजस्व गाँव का नक्शा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

भवन बनवाना

*3203. श्री ज्ञानचन्द मांझी—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड गरखा एवं छपरा सदर प्रखंड के डोरीगंज में पशु चिकित्सालय का भवन नहीं है जिससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर पशु चिकित्सालय भवन बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदों को भरना

*3204. श्री प्रेम रंजन पटेल--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है पशुपालन विभाग में क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य), पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर, उप-निदेशक (गव्य), मुजफ्फरपुर एवं गव्य अर्थशास्त्री, मुख्यालय वर्ग 01 एवं गव्य अभियन्ता मुख्यालय, पटना का पद विगत चार वर्षों से रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला गव्य विकास पदाधिकारी के खाली पद को संबंधित गव्य तकनीकी संवर्ग से वरीयता के आधार पर भरने का प्रावधान है, परन्तु उक्त खाली पदों को दूसरे संवर्ग के पदाधिकारी से भरा जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है ;

(3) यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त सभी पदों को संवर्ग से वरीयता के आधार पर भरने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*3205. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कस्बा नगर पंचायत के भवन का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में 38 लाख रु० स्वीकृत हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर पंचायत का भवन निर्माण का 38 लाख रु० की निकासी वर्ष 2007 में करके कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है एवं सरकारी मानकों के अनुसार छड़, सीमेन्ट, बालु एवं लकड़ी का उपयोग नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नगर पंचायत के भवन का पूर्ण निर्माण कराने एवं सरकारी मानक के अनुसार कार्य नहीं करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सम्पर्क सड़क से जोड़ना

*3206. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने सम्पर्क सड़क हेतु 10 करोड़ रुपये वर्ष 2011-12 के बजट में प्रावधान किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आवंटित राशि के विरुद्ध अबतक पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) मात्र 2 करोड़ 29 लाख रुपये खर्च कर 128 टोला/मुहल्ला को सम्पर्क सड़क का लाभ मिल सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवशेष राशि को खर्च कर रास्ताविहीन सैंकड़ों मुहल्लों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बहाली करना

*3207. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर परिषद्, छपरा में वर्ष 1995 से 532 सफाईकर्मी कार्यरत थे, जबकि जनसंख्या 1.50 लाख थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में सफाई कर्मियों की संख्या घटकर 70 के करीब हो गई है और जनसंख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गयी है, जिसके कारण सफाई व्यवस्था ध्वस्त है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर परिषद्, छपरा में सफाई कर्मियों की बहाली करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3208. श्री गिरिधारी यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 322 के आर्कीटेक्ट (वास्तुविद्) से 500 रु० निबंधन शुल्क लिये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आर्कीटेक्ट अधिनियम, 1972 के तहत निबंधित आर्कीटेक्ट (वास्तुविद्) प्रोफेशनल श्रेणी में आते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि दिनांक 21 फरवरी, 2013 को उप-सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के गाईडलाइन सं० 1(6) में निबंधन हेतु 10 लाख रु० के बैंक गारंटी दिये जाने का निर्देश जारी किया गया है जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 322 के विपरीत है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के विपरित जारी किये गये गाईडलाइन सं० 1(6) को विलोपित करने तथा अधिनियम के विपरित गाईडलाइन जारी करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अंचल कार्यालय से जोड़ना

*3209. श्री कृष्णनन्दन यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के अतरी प्रखण्ड थाना अतरी के ग्राम-बहोरमा का अंचल कार्यालय बथानी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम-बहोरमा को प्रखण्ड कार्यालय अतरी एवं अंचल कार्यालय बथानी होने से लोगों को कार्य कराने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गया जिला के अतरी प्रखण्ड के ग्राम-बहोरमा को अतरी अंचल कार्यालय में जोड़ने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*3210. श्री प्रेम रंजन पटेल--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने कृषि रोड मैप के तहत राज्य के सभी प्रखण्डों में ई-किसान भवन का निर्माण कराने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लक्खीसराय जिला अन्तर्गत चानन तथा पिपरिया प्रखण्ड में अभीतक ई-किसान भवन का निर्माण नहीं कराया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में चानन एवं पिपरिया प्रखण्ड में ई-किसान भवन का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*3211. श्री रामधनी सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि स्नातक विषय-वस्तु विशेषज्ञों की नियुक्ति 10 में पत्रांक 15/2009(अंश)855/कृषि, पटना, दिनांक 22 फरवरी, 2010 तथा कृषि विभाग के राज्यादेश सं० 727, दिनांक 16 फरवरी, 2010 के आलोक में की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार में विषय-वस्तु विशेषज्ञों द्वारा पंचायत स्तर पर कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का सफल कार्यान्वयन किया जाता है जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार में विषय-वस्तु विशेषज्ञों से धान अधिप्राप्ति डीजल अनुदान वितरण, जनगणना, भू-जल सिंचाई योजना, वृद्धा पेंशन वितरण एवं राशन-किरासन योजना आदि का कार्य प्रखंडों में लिया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विषय-वस्तु विशेषज्ञों के कार्य को देखते हुए उन्हें प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी या समतुल्य पद पर नियुक्ति करना चाहती है, हाँ, तो कबतक ?

कार्रवाई करना

*3212 श्री संजय सिंह टाइगर--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 6 अक्टूबर, 2012 को प्रकाशित शीर्षक ''6 माह में 28 हजार शौचालय बनाने की चुनौती'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने स्कूलों में 28 हजार शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अक्टूबर, 2012 तक केवल 4057 स्कूलों में शौचालय का निर्माण कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शौचालयों के अभाव में स्कूल के छात्रों एवं छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

कार्रवाई करना

*3213. श्री रतनेश सादा--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत प्रखंड बनमा इटहरी से सहुरिया पंचायत में 80 घर महादलित परिवार का 15 वर्षों से ऊपर से बसा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उन महादलित परिवारों के लिए सरकार ने वर्ष 2009 में ही तीन डिसमिल जमीन गुजर बसर करने हेतु दिया है;

(3) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी के लापरवाही के कारण एवं आवंटित सर्वश्री विनोद यादव, प्रमोद यादव, भोला यादव एवं श्रवण यादव द्वारा जमीन कब्जा करने के कारण उन महादलित परिवारों को आजतक जमीन गुजर बसर करने हेतु नहीं मिल सका है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में कबतक 80 महादलित परिवारों को तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने तथा दोषी अंचलाधिकारी पर कौन सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान नहीं देने का औचित्य

*3214. श्रीमती मुन्नी देवी--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड में रबि महोत्सव का आयोजन कर कृषकों को श्री विधि की जानकारी के साथ ही बीज, कीटनाशक दवाओं तथा छोटे कृषि यंत्र अनुदान के तहत महोत्सव पर ही बाँटने का प्रावधान है, परन्तु भोजपुर जिला के प्रखण्ड बिध्या में रबि महोत्सव स्थल अनुदान नहीं दिया, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

दोषियों पर कार्रवाई

*3215. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश चौधरी क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना के अंचल अधीन वार्ड नं0 61, मौजा रानीपुर, खाता सं0 1373, खेसरा 1658, रकबा 01 की भूमि जो क्रमिक खतियान में गैर -मजरुआ आम के रूप में दर्ज है जो राजस्व पदाधिकारी की मिली भगत से स्थानीय श्री राज कुमार सिंह, पप्पु सिंह एवं अन्नपूर्णा देवी का दखल है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अंचल के अधीन वार्ड नं0 61, मौजा रानीपुर, खाता नं0 487, खेसरा सं0 478, 245, 242, 265, 421, 496, 597, 500 कुल रकबा लगभग 50 एकड़ तथा वार्ड नं0 61, मौजा रानीपुर, खाता नं0 487, खेसरा सं0 583, 597, 598 कुल रकबा 32 कट्ठा जो गैर-मजरुआ आम भूमि के रूप में क्रमिक खतियान में दर्ज है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित गैर-मजरुआ आम भूमि की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

भुगतान करना

*3216. श्री प्रमोद कुमार--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के सी0डब्लु0जे0सी0 225/04, 1397/95 एवं 8563/92 में बिस्कोमान के 500 कर्मचारियों को बकाया भुगतान का आदेश दिया गया था, परन्तु श्री सुनील कुमार सिन्हा, श्री बिशेश्वर प्रसाद सिंह एवं श्री शिव शंकर प्रसाद सहित 25 व्यक्तियों का बकाया भुगतान अबतक किया गया है, शेष का अभीतक लम्बित है, यदि हां, तो सरकार शेष कर्मचारियों का बकाया राशि भुगतान न करने का क्या औचित्य है ?

उपलब्ध कराना

*3217. श्री जनार्दन मांझी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत शम्भुगंज प्रखण्ड के म0 वि0, विशनपुर एवं वसुआरा प्रा0वि0 में विगत दो वर्षों से चापाकल खराब है, जिसके कारण मध्याह्न भोजन नहीं बन पा रहा है, यदि हां, तो सरकार जनहित में कबतक खराब चापाकल को बनवाकर शुद्ध जल, भोजन बनाने हेतु उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*3218. श्री अख्तरूल ईमान--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत सरकारी स्कूल मदरसा एवं विद्यालय फंड से आपूर्ति किए गए चापाकलों में लगभग 2200 आई0आर0पी0 2008-09 से अबतक लगाए गए हैं, किन्तु कोई भी आई0आर0पी0 चालू अवस्था में नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि 2400 रु0 प्रति आई0आर0पी0 की दर से राशि का भुगतान संवेदक को विभाग द्वारा किया गया है, किन्तु घटिया स्तर का आई0आर0पी0 लगाए जाने के कारण सब खराब पड़े हैं, जिस कारण लोग आयरण युक्त पानी पीने पर विवश है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किशनगंज में लगाए गए आई0आर0पी0 की उच्चस्तरीय जाँच एवं दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*3219. श्री मदन सहनी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना के फुलवारीशरीफ अंचल वार्ड नं0 30 के हरिश्चन्द्र नगर की आम जनता द्वारा दिनांक 10 मई, 2011 एवं 13 सितम्बर, 2011 को सिपारा मौजा अंतर्गत हरिश्चन्द्र नगर में पानी निकासी के गैर-मजरुआ आम पईन को अतिक्रमणमुक्त कराते हुए उक्त जमीन पर नाला, पार्क एवं सामुदायिक भवन का निर्माण कराने हेतु आवेदन जिलाधिकारी, पटना को दिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि नाला के अभाव में उक्त मोहल्ला में सालोभर गंदा पानी का जमाव रहता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मोहल्ला में नाला निर्माण, पार्क निर्माण तथा वाटर सप्लाई की व्यवस्था कराना चाहती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

समस्या का निदान

*3220. श्री प्रदीप कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत पकरीवरावां प्रखंड के ग्राम-बढ़ौना में जलस्तर काफी नीचे रहने से पेयजल का घोर अभाव है, यदि हां, तो सरकार इस समस्या का निदान करने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*3221. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी वार्ड संख्या 12 के उपभोक्ताओं यथा श्री मंगल साह, मो0 सोहागी, श्री राजनाथ पाण्डेय, मो0 खैरून को जन-प्रणाली के विक्रेता श्री अलीमुद्दीन खाँ द्वारा सितम्बर से दिसम्बर, 2012 का अन्त्योदय का सड़ा अनाज प्रति कार्ड 2 किलोग्राम कम, 18 रु0 प्रति लीटर की दर से 2 लीटर किरासन तेल वितरित किया है, यदि हां, तो सरकार कबतक, जाँच कराकर कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*3222. श्री अभिराम शर्मा—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिले के नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं० 3 दौलतपुर मठिया मुसहरी की आबादी 1500 से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दौलतपुर मठिया मुसहरी मे सड़क जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दौलतपुर मठिया मुसहरी मे सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण हटाना

*3223. श्री पदम् पराग राय वेणु—क्या मंत्री, नगर विकास आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिले के फारबिसगंज विधान–सभा अन्तर्गत फारबिसगंज नगर का जल निकासी का मुख्य मार्ग सीताधार को श्री कुसूम लाल यादव, पिता जिक यादव, ग्राम मटियारी, श्रीमती जयन्ती देवी जौजे श्री तपेश्वर प्रसाद सिंह, श्री रेवतीचन्द्र दास एवं श्री लखन लाल मिश्र द्वारा अतिक्रमण कर जल निकासी को अवरुद्ध कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जल निकासी अवरुद्ध हो जाने के कारण शहर में जल–जमाव की समस्या बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अतिक्रमण कबतक हटवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*3224. श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत मुंगेर शहरी क्षेत्र में वार्ड न० 9 के वासुदेवपुर बस बिट्ठी, आई०टी०भी क्वांटर से सिन्हा टोली रेलवे लाईन होते हुए मंगल बाजार मुख्य पथ गायत्री दवाखाना तक कुल लम्बाई 1200 मीटर, चौड़ाई 20 फीट तक का पथ विगत 20 वर्षों से जीर्ण–शीर्ण अवस्था में रहने के कारण आम जनता का आवागमन प्रभावित है एवं वाहनों का यातायात बन्द हो गया है, यदि हां, तो सरकार उक्त जीर्ण–शीर्ण पथ का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3225. श्रीमती पूनम देवी यादव—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र के 22 जनवरी, 2013 के अंक मे छपी खबर "सूख गया सैकड़ों एकड़ मे लगी मक्का" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया प्रखंड के सारो , बेलहा, माडर दक्षिण गाँव में, मानसी प्रखंड के ठाठा, चकहुसैनी खुटिया चौथम प्रखंड के हरदिया, रोहियार, बंगलिया, गोगरी प्रखंड के कोयला, बलतारा, पौरा, लक्ष्मीनिया, पकरैल तथा अलौली प्रखंड के सैकड़ों एकड़ जमीन पर मक्का का खेती वर्ष 2012 में किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि तापमान काफी कम होने के कारण खंड (1) में वर्णित किसानों का सारा मकई सूख गया है, जिससे उनलोगों के आर्थिक नुकसान होने के कारण भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन किसानों को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई करने हेतु कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई करना

*3226 श्री दिनेश कुमार सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के जगदीशपुर गोदाम का उद्घाटन विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उद्घाटन के पहले ही जगदीशपुर का गोदाम का फर्श धंसा हुआ था ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा इसकी जानकारी विभागीय मंत्री को दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को दी गई थी, परन्तु अभीतक न ही इसकी जाँच हुआ और न ही कोई कार्रवाई हुआ है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3227. श्री बीरेन्द्र सिंह—दैनिक समाचार–पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित शीर्षक "संवेदक के लापरवाही से चालू नहीं हुआ नलकूप" की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के मानपुर जोन में जलापूर्ति योजना से संबंधित निर्माण कार्य मेसर्स किर्लोस्कर कम्पनी कोलकत्ता को 03 करोड़ 03 लाख 94 हजार 942 रुपये के प्राक्कलित राशि पर आवंटित की गयी थी, जिसे वर्ष 2009 में पूरा किया जाना था, परन्तु अभीतक कार्य अधूरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के कार्यान्वयन में घटिया सामग्री के लगाये जाने एवं दोषपूर्ण निर्माण की शिकायत कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वा० प्रमंडल गया एवं विभागीय प्रधान सचिव को वर्ष 2010–2011, 2012 में विभिन्न स्तर पर की गयी है ;

(3) यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित संवेदक के खिलाफ, समय पर कार्य पूरा नहीं करने एवं प्राक्कलन के अनुसार कार्य करने वालों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आयरन मुक्त जलापूर्ति कराना

*3228. श्री नौशाद आलम—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के तुलसिया में जलमीनार बने पन्द्रह वर्ष हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलमीनार से अबतक आयरन मुक्त जलापूर्ति नहीं की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त जलमीनार से आयरण मुक्त जलापूर्ति तुलसिया एवं आस–पास के ग्रामों में करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निष्पादित कराना

*3229. श्री अजय प्रताप—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकारी आवास सं० बी–3 / 11, राजवंशी नगर, पटना स्थित क्वाटर में अतिरिक्त भवन के नये कमरों में संवेदक द्वारा नलकूप एवं अन्य कार्यों को विगत एक वर्ष पूर्व में आधे–अधूरे कार्यों को कराकर छोड़ दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा एक वर्ष लगातार अनेकों बार पत्र के माध्यम से उक्त कार्यों को निष्पादित कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना से आग्रह करने के बावजूद भी अबतक कार्रवाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त फ्लैट में शेष बचे कार्यों को अविलम्ब निष्पादित कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*3230. श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर, नारायणपुर एवं खरीक प्रखण्डों में पंचायत राजस्व कर्मचारी का 11 (ग्यारह) पद रिक्त रहने के कारण किसानों सहित आम जनता को राजस्व सम्बन्धी कार्य ससमय नहीं हो पाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि राजस्व सम्बन्धी कार्य नहीं होने से किसानों को सरकारी लाभ लेने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में पंचायत राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड में 11 (ग्यारह), बिहपुर प्रखण्ड में 13 (तेरह) एवं खरीक प्रखण्ड में 13 (तेरह) राजस्व कर्मचारी का पद स्वीकृत है ।

स्वीकृत पदों के विरुद्ध नारायणपुर प्रखण्ड में 03 (तीन), बिहपुर प्रखण्ड में 03 (तीन) तथा खरी प्रखण्ड में 04 (चार) राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं ।

उक्त प्रखण्डों में कार्यरत बलों द्वारा राजस्व सम्बन्धी कार्य ससमय निष्पादित किये जा रहे हैं ।

(2) अस्वीकारात्मक है । उक्त सभी प्रखण्डों में कार्यरत राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व सम्बन्धी कार्य सम्पादित किया जा रहा है ।

किसानों को सरकारी लाभ लेने में कठिनाइयों से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं है ।

(3) विभागीय पत्रांक 454 (4), दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 द्वारा 3917 राजस्व कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति करने के लिए अनुशंसा हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है । अनुशंसा प्राप्त होने पर राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों पर पदस्थापन कर दी जाएगी ।

निर्माण कराना

*3231. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010-11 में आई०सी०डी०पी० परियोजनान्तर्गत राज्य में 709 पैक्स गोदाम, 37 व्यापार मण्डल का निर्माण तथा 33 व्यापार मण्डलों में पुराने व्यापार मण्डलों की मरम्मती का लक्ष्य रखा गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत ढाका एवं घोड़ासहन प्रखण्ड के उप-पंचायत पैक्स गोदाम विहीन है तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुपात में 25 प्रतिशत निर्माण भी नहीं हो पाया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पैक्स गोदामों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वित्तीय वर्ष 2010-11 तक समेकित सहकारी विकास परियोजना (आई०सी०डी०पी०) अन्तर्गत राज्य के सात जिलों यथा गोपालगंज, मधुबनी, गया, सीतामढ़ी, आरा, छपरा एवं सीवान आच्छादित थे ।

उपर्युक्त आच्छादित जिलों के लिए वर्ष 2010-11 तक 767 पैक्स गोदाम, 49 व्यापार मण्डल का निर्माण तथा 41 व्यापार मण्डलों में पुराने व्यापार मण्डलों की मरम्मती का लक्ष्य था;

वर्ष 2010-11 तक उक्त जिलों में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 746 पैक्स गोदाम, 41 व्यापार मण्डल का निर्माण तथा 33 व्यापार मण्डलों में पुराने व्यापार मण्डलों की मरम्मती का कार्य कराया गया ।

(2) समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिला का आच्छादन होना प्रक्रियाधीन है ।

पूर्व में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत ई०ई०सी० परियोजना के माध्यम से पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका प्रखण्ड अन्तर्गत 5 पैक्सों यथा तेलहारा, कुंडवा चैनपुर, करसहिया, गवन्दरी एवं गहई तथा घोड़ासहन प्रखण्ड अन्तर्गत 7 पैक्सों यथा अमावां, भेलवा, इनवारा, फूलवार, बीजबनी, सिंगरहिया लखौन, पिपरा एवं समनपुरा में 100 MT क्षमता का गोदाम निर्माण कराया गया है ।

ई०ई०सी० परियोजना वर्ष 2001 में समाप्त हो चुकी है ।

(3) पूर्वी चम्पारण जिला में समेकित सहकारी विकास परियोजना लागू करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है । परियोजना लागू होने के उपरान्त उक्त प्रखण्डों में गोदाम निर्माण कर विचार किया जायेगा ।

उपलब्ध कराना

*3232. श्री अम्बिका सिंह-- क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के दुर्गावती अंचल के अन्तर्गत बिछिया गाँव का चकबन्दी, 1985 में हो चुका है;

(2) क्या यह बात सही है कि 1988 में रैयती को कर दिया गया;

(3) क्या यह बात सही है कि आजतक उक्त अंचल में खतियान एवं नक्शा उपलब्ध नहीं है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खतियान एवं नक्शा उक्त अंचल में उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुधार के उपाय

*3233 श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी बाजार के वार्ड संख्या 10 और 14 में पाइप लाइन विगत तीन वर्षों से क्षतिग्रस्त हो जाने और वाटर स्टैण्ड लगाकर नल नहीं रहने के कारण लोगों को पानी की कठिनाई हो रही है, यदि हां, तो सरकार उसके सुधार के लिए क्या उपाय कर रही है, नहीं, तो क्यों ?

योजना आरम्भ कराना

*3234. डॉ० अच्युतानन्द--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार प्रखण्ड में 20 वर्ष पूर्व महनार बाजार, बासुदेवपुर चंदेल और चमरहरा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्थानों पर ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अधीन वाटर टावरों का निर्माण 20 वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था जो अभीतक पूरा नहीं किया जा सका है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उपरोक्त स्थानों के जलापूर्ति योजना का 20 वर्षों के बाद भी आरम्भ नहीं होने का क्या औचित्य है ?

नगदी देने का विचार

*3235.. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में विशेष फसल अनानास प्रोत्साहन योजना संचालित है;

(2) क्या यह बात सही है कि स्थानीय एवं उन्नत बीज के लिए कृषकों के आग्रह पर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सेवा यात्रा के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्थानीय एवं उन्नत बीज मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था, इसके बावजूद घटिया किस्म के बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनानास उत्पादक कृषकों को स्थानीय उन्नत बीज उपलब्ध कराने या अनुदान की राशि नकदी देने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुहैया कराना

*3236. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखण्ड में पानी टंकी का निर्माण वर्ष 2008 में किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पानी टंकी बन गया है लेकिन आजतक पानी टंकी का पाइप नहीं बिछाया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पाइप बिछाकर उक्त पानी टंकी को चालू कर जनता को शुद्ध जल मुहैया कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

*3237. श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड के बलहा ग्राम के पास गंगा धार के पास मुक्तिधाम बनाने की घोषणा वर्ष 2006 में विभागीय मंत्री द्वारा किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि मुक्तिधाम का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, भागलपुर द्वारा विभाग को दो वर्ष पूर्व भेज दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभाग को राशि उपलब्ध कराकर मुक्तिधाम बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3238. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में दिनांक 10 जनवरी, 2013 को प्रकाशित शीर्षक ''मैला हूँ निर्मल भारत अभियान'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 में बी०पी०एल० परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के नाम पर लाखों रुपये की राशि फर्जीवाड़ा कर हजम कर लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि शौचालय निर्माण की गड़बड़ी में से सर्वाधिक प्रभावित बी०पी०एल० परिवार ही नहीं हुए हैं बल्कि कुछ जिले में अभियंताओं ने फर्जी ढंग से निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार भी प्राप्त कर लिये हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के धनसोई ग्राम पंचायत को वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार से निर्मल ग्राम पंचायत का पुरस्कार भी मिल गया, जबकि उक्त पंचायत के 250 बी०पी०एल० परिवारों को शौचालय की सुविधा नहीं मिला है तथा शौचालय निर्माण के नाम पर 2.50 लाख रुपये का उक्त पंचायत में गोलमाल किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लाखों रुपये के गोलमाल में विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति की व्यवस्था

*3239. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत इसुआपुर प्रखण्ड के डोइला, चहपुरा, बेसिक स्कूल, केरवा, उच्च विद्यालय, महुली, चकहन, अगौथर, नन्दा बाजार, नावादा, निपनिया एवं मध्य विद्यालय, उसरी कला तथा डाटरा, पुरसौली गढ़ और अमरदह गाँवों में शुद्ध जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार जलापूर्ति की व्यवस्था कराने का विचार रखती है ?

व्यवस्था करना

*3240. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया नगर परिषद् अन्तर्गत तीन हाई मॉस्क लाइट और 111 (एक सौ ग्यारह) सोलर लाइट शहर में है;

(2) क्या यह बात सही है कि हाई मॉस्क लाइट सहित सोलर लाइट का देख-रेख की जिम्मेवारी नगर परिषद् खगड़िया की है;

(3) क्या यह बात सही है कि हाई मॉस्क लाइट एवं सभी सोलर लाइट बन्द है, जिससे आमजनों को काफी असुविधा हो रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तीनों हाई मॉस्क लाइट एवं 111 (एक सौ ग्यारह) सोलर लाइट खगड़िया नगर परिषद् के 26 वार्डों में नियमित रूप से जलाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3241. श्री जय कुमार सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर के 72 वार्डों में 50-50 की संख्या में सी०एफ०एल० बल्ब लगाने की योजना है;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने की दिशा में अबतक अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी है, जिससे अधिकांश सड़कें अभी भी प्रकाशविहिन हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक ?

कार्रवाई करना

*3242. श्री तार किशोर प्रसाद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार नगर निगम से गंदे जल की निकासी एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रबंधन नहीं रहने के कारण शहर का गंदा जल निजी जमीन में एवं कचरा खुले आसमान में रख दिया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था संबंध में कार्रवाई करने का इरादा रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

संकल्प पूरा कराना

*3243. श्री प्रमोद कुमार--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के पिपरा कोठी प्रखण्ड अन्तर्गत मझरिया मन, झखरा मन, पंडितपुर मन एवं मोतिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मोतिझील, कररिया मन, रूलही मन, मतवाली मन, सिरसा मन आदि सैकड़ों एकड़ में स्थित मनो जिसकी नियम संगत बन्दोबस्ती कर सरकार द्वारा राजस्व प्राप्त किया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मनो की सफाई, सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण होने से मत्स्य की उत्पादन बढ़ सकती है, जिससे सरकारी राजस्व की प्राप्ति होगी तथा राज्य कृषि रोड मैप का संकल्प भी पूरा होगा;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नाबार्ड से या अन्य स्रोत से मनों को विकसित कर मत्स्य उत्पादन को बढ़ाते हुए राजस्व प्राप्ति कर कृषि रोड मैप के संकल्प को पूरा कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बताना

*3244. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डॉ० दरोगी रजक, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन विभाग, गया द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 3001, दिनांक 16 मार्च, 1982 तथा पत्र दिनांक 11 जून, 1986 का उल्लंघन कर 23 तृतीय श्रेणी एवं 61 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के बिना वर्ष 1991 में की गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2009 को सिविल अपील नं० 1741/2009 में दिये गये निर्णय के द्वारा खण्ड (1) में वर्णित नियुक्ति को अवैध करार कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह सहित मात्र पाँच कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई और शेष कर्मचारी आज भी कार्यरत हैं, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

पूर्ण कराना

'ख'-*3245. श्रीमती सुनीता सिंह--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिले के बेलसंड प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत डुमरा नवादा में अनाज प्रशोधन केन्द्र का भवन 2 वर्षों से अर्द्ध-निर्मित अवस्था में रहने के कारण किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(2) यदि खण्ड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अर्द्ध-निर्मित भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

नोट--'ख'-सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 1261, दिनांक 11 मार्च, 2013 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में स्थानान्तरित ।

व्यवस्था कराना

*3246. श्रीमती भागीरथी देवी-- क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेतिया जिला के गौनाहा प्रखंडान्तर्गत ग्राम भिखनाठोरी में आजादी के बाद से ही पेयजल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण सीमा सुरक्षा बल के टैंकर से ग्रामीणों को वर्ष मार्च, 2011 से पेयजल उपलब्ध करायी जाती है, जिससे ग्रामीणों को दिनचर्यादि में काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में बोरिंग कराते हुए जलमीनार का निर्माण कराकर पेयजल की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण हटाना

*3247. श्री राम लषण राम ''रमण''-- हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 9 अगस्त, 2010 को छपी खबर शीर्षक ''अतिक्रमण मुक्ति नहीं हुयी तो वेतन एवं 10 अगस्त, 1996 की छपी खबर के आलोक में क्या मंत्री, भू-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समाहर्ता, दरभंगा ने आम नोटिस प्रकाशित कराकर जिले के सभी नालों, सड़कों एवं तालाबों से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था;

(2) क्या यह बात सही है कि इसी आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर ने अपने पत्रांक 257, दिनांक 03 मार्च, 2011 द्वारा अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा को ग्राम कुमरपट्टी, पो० भराही की तीन आम सड़कों के अतिक्रमण को दूर करने का आदेश दिया था, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*3248. प्रो० उषा सिन्हा-- दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 जनवरी, 2013 को प्रकाशित ''पैसा वसूल जेब में रख लेते हैं कर्मी'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र के खाली भू-खंडों पर मेला या व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने के पहले निगम की स्वीकृति लेना अनिवार्य है;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना राजधानी अंचल, बाँकीपुर तथा कंकड़बाग के दर्जनों खाली भू-खंडों यथा चिड़ियाघर, हाईकोर्ट, गाँधी मैदान के चिल्ड्रेन पार्क, निगम मुख्यालय तथा भूतनाथ रोड आदि के पास दूकानें नियमों की अनदेखी करते हुए खोल दी गयी है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त दुकानों से निगमकर्मी अपने स्तर से वसूली करते हैं और रुपया नगर निगम के खाते में जमा नहीं किया जाता, जिससे निगम को प्रतिमाह लाखों रुपये राजस्व की हानि हो रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

*3249. श्री बृज किशोर सिंह- क्या मंत्री, लोक स्वा०अभि० विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड स्थित बीरहीमा बसराज, मोतीपुर में गाड़े गये पच्चास चापाकल पिछले पाँच वर्षों से बंद पड़े हैं;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बंद पड़े चापाकलों को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूर्ण कराना

*3250. श्रीमती मुन्नी देवी-- क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग के पत्रांक 50, दिनांक 09 जनवरी, 2013 द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर को नगर निकाय क्षेत्र में सड़क, नाला, घाट मद में योजनाओं का प्राक्कलन भेजने हेतु पत्र दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलापदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 34 अभि०/डुडा, दिनांक 21 जनवरी, 2013 द्वारा नगर पंचायत शाहपुर में घाट का अवशेष कार्य सहित अन्य योजनाओं का प्राक्कलन भेजने के बावजूद विभाग द्वारा उक्त जिला में एक भी घाट निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत, शाहपुर में घाट के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सालय खोलना

*3251 . श्री गोपाल जी ठाकुर-- क्या मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बेनीपुर प्रखंड के लवाणी, कीरतपुर प्रखंड मुसहरिया एवं बिरौल प्रखंड के पटनियाँ ग्राम में पशु चिकित्सालय नहीं है जिसके कारण वहाँ के आम पशुपालकों को पशु का चिकित्सा करवाने में काफी कठिनाइयाँ होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त ग्राम के किसानों के हित में सरकार पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*3252. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार-- क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय भवन का जीर्णोद्धार बिना वर्ष 2010 से 2013 तक निविदा की प्रक्रिया अपनायी गई है, जिसमें 95 लाख रुपये की राशि व्यय किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवन का जीर्णोद्धार भवन निर्माण विभाग की पूर्वानुमति के बगैर ही कर दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मामले की जाँच करवाकर निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण करना

*3253. श्री छोटेलाल राय--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के अंतर्गत बि०प्र०से० के पदाधिकारी एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक अवधि तक पदस्थापित नहीं रह सकते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर प्रमंडल भूमि सुधार उप-समाहर्ताओं का विगत पाँच वर्षों से स्थानान्तरण नहीं हुआ है एवं एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकारी प्रावधान के अनुरूप भागलपुर प्रमंडल के सभी भूमि सुधार उप-समाहर्ताओं को स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना सं० 114, दिनांक 4 अप्रील, 2010 द्वारा भागलपुर प्रमंडल में सभी भूमि सुधार उप-समाहर्ताओं का पदस्थापित किया गया था । भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत किसी भी भूमि सुधार उप-समाहर्ता का पदस्थापन अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं हुआ है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

चालू कराना

*3254. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना के बिहटा, दानापुर, मनेर, पालीगंज, पटना सदर, पुनपुन, मसौढ़ी, विक्रम, दुल्हिन बाजार, नौबतपुर, धनरूआ, फुलवारीशरीफ एवं संपतचक प्रखण्ड में क्रमश: 5, 33, 25, 177, 20, 92, 78, 112, 42, 168, 64, 85 एवं 45 चापाकल पिछले दस वर्षों से बन्द है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना के मनेर, बिहटा, पुनपुन एवं संपतचक प्रखण्ड में 6 ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना पिछले 20 वर्षों से बन्द पड़ा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या खण्ड (1) में वर्णित चापाकलों के मरम्मत एवं खण्ड (2) में वर्णित जलापूर्ति योजना को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पूर्ण कर चालू कराना

*3255. श्री अम्बिका सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ विधान-सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2010-11 में मिनी जलापूर्ति योजना स्वीकृत हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि एजेन्सी द्वारा बोरिंग कर छोड़ दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त विधान-सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक भी मिनी जलापूर्ति योजना को आजतक चालू नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिनी जलापूर्ति योजना को पूर्ण कर चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई नहीं करने का औचित्य

*3256. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत घोड़ासहन प्रखण्ड के तत्कालीन अंचलाधिकारी श्री खुर्शीद आलम के मनमानी कार्यों, अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, मुख्यालय से अनुपस्थित रहने तथा शीशम के लकड़ी को गलत ढंग से नीलामी करने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना ने अपने पत्रांक 51, दिनांक 12 जून, 2012 द्वारा प्रपत्र 'क' गठित कर अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण को कार्रवाई हेतु भेजा गया है, जिसपर आजतक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

मुआवजा देना

*3257. प्रो० उषा सिन्हा--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत नवम्बर, 2012 में रबी महोत्सव के अवसर पर ''अरूण'' प्रजाति के मसूर के बीजों का वितरण नालन्दा के किसानों को अनुदानित दर पर किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अच्छे जेनरेशन के बावजूद मसूर के पौधों की न तो अपेक्षित वृद्धि हुई न ही उसमें फूल और फल आये, पौधे 2-3 ईंच बढ़कर सिकुड़ गये ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति हेतु उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*3258. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत प्रखंड मुख्यालय घोघरडीहा में 5 एकड़ भू-खण्ड उपलब्ध रहने के बावजूद प्रखंड पशु चिकित्सालय भवनहीन है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थल पर पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वंचित रहना

*3259. श्री संजय सरावगी ज-155--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में नाला निर्माण (2215) मद में क्रमशः 49 करोड़, 25 करोड़ और 20 करोड़ का पेय एवं पुल निर्माण मद (2217) में 54 करोड़ 10 करोड़ और 25 करोड़ का बजट उपलब्ध किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त तीनों वित्तीय वर्ष में कुल 183 करोड़ में दरभंगा शहरी क्षेत्र को एक रु० का आवंटन इन मदों में नही दिया गया जिससे पिछले तीन वर्ष में दरभंगा शहर का विकास कार्य प्रभावित हुआ है ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो दरभंगा शहर को इस आवंटन से वंचित रहने का क्या औचित्य है ;

भुगतान कराना

*3260. श्री भाई वीरेन्द्र--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर परिषद्, छपरा के ज्ञापांक 735, दिनांक 25 नवम्बर, 2009 के आलोक में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत छपरा नगर परिषद् क्षेत्र में बी०पी०एल० परिवार के सदस्यों को स्वरोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्रीकृष्ण मिशन सोसाइटी सहित आठ स्वयंसेवी संस्थाओं को कार्य आवंटित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रशिक्षण देने के उपरान्त राशि के भुगतान हेतु आवेदन सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा दिया गया, जिसके आलोक में श्रीकृष्ण मिशन सोसाइटी सहित तीन अन्य संस्थाओं का भुगतान अभीतक छपरा नगर परिषद् द्वारा नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीकृष्ण मिशन सोसाइटी सहित अन्य संस्थाओं के राशि भुगतान विलम्ब करने के लिए दोषियों पर कार्रवाई करते हुए बकाये राशि के भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*3261. श्री हरिनारायण सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत नगरनौसा प्रखंड के ग्राम पंचायत कैला के ग्राम–महमदपुर में एवं ग्राम पंचायत कछियावाँ के ग्राम–भोभी मे तथा चण्डी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नरसण्डा के ग्राम–नरसण्डा में पेयजल आपूर्ति हेतु पानी टंकी का निर्माण करने हेतु लगभग दो वर्ष पहले प्राक्कलन बनाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित पानी टंकी के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति होकर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्यालय में लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपरोक्त ग्रामों में पेय जल आपूर्ति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति देकर पानी टंकी निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है ?

बसों का क्रय

*3262. श्री अरूण कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नुरुम योजना के तहत पटना तथा बोधगया में सार्वजनिक परिवहन हेतु क्रमशः 400 एवं 60 एसी बसों के क्रय तथा परिचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 ई० में ही केन्द्र द्वारा 48 करोड़ रुपये प्राप्त कराये जाने के बावजूद इन बसों का क्रय नही हुआ है, यदि हां, तो अबतक उक्त बसों के क्रय नही करने का क्या औचित्य है ?

सौन्दर्यीकरण कराना

*3263. श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला स्थित मुहल्ला पूरब सराय–वार्ड सं० 20 में स्थित बसंती तालाब सुख गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तालाब में आम जनता स्नान आदि कर पूजा–पाठ किया करते हैं तथा छठव्रत का अर्ध्य भी तलाब में किया करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वहां की आम जनता के हित में उक्त तालाब की मरम्मती एवं सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुरू करना

*3264. श्री जय कुमार सिंह—स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''सूबे में शीघ्र होगी पशु एम्बुलेन्स सेवा'' के आलोक में क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि रोड मैप के तहत सूबे में 50 पशु एम्बुलेन्स सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इससे राज्य के पशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ने इसे शुरू कर दिया है, यदि हां, तो कब से ?

समस्या से निजात

*3265. श्री अवधेश कुमार राय—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बछवाड़ा, मनसुरचक एवं भगवानपुर प्रखंडों में क्रमशः चमथा, दादुपुर, रशीदपुर, अरवा, रानी, गोधना–साठा गोविन्दपुर एक, गणपतौल एवं मौख्तीदारपुर, चन्ददौरे, झारस,

कीशतपुर टोले अनुसूचित/जन–जाति के टोले हैं, एक यदि हां, तो क्या सरकार सौर ऊर्जा चालित मिनी जलापूर्ति योजना के तहत उक्त सभी टोले के जनता को जलापूर्ति करने के साथ ही जल समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*3266. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह––क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड में ग्राम–कजराईन, झिकरिया, मगांवार, धुंधुआ तथा बारून प्रखंड में ग्राम–नरारी, मेह, धमनी, सोननगर, बारून, मोहनगंज, कौचाढा, योठौली में मछुआरा जाति के लोग रहते है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम के मछुआरा अत्यन्त गरीब हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में मछुआ आवास योजना से गरीब मछुआरों के लिए आवास नहीं बनाये जा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी गाँवों में गरीब मछुआरों को मछुआ आवास योजना के तहत आवास निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक ?

वसूल करना

*3267. श्री विक्रम कुँवर––दिनांक 2 अगस्त, 2012 को हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित "चूहे खा गये बारह हजार बी०पी०एल० परिवारों का अनाज" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि एस०एफ०सी० ने वर्ष 2006 से 2011 के बीच 68.72 लाख टन आनाज का उठाव नही किया, जिसके चलते 203 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एस०एफ०सी० के 257 कर्मचारियों से 24.21 करोड़ रुपये वसूली की सिफारिश की गयी है, परन्तु आजतक उक्त राशि की वसूली संबंधित कर्मचारियों से नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एस०एफ०सी० के 257 कर्मचारियों से 24.21 करोड़ रुपये वसूल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*3268. श्री सबा जफर––क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर प्रखंड में गत एक वर्ष से अमीन का पदस्थापन नहीं होने के आमजनों को जमीन की मापी कराने में काफी परेशानी होती है, यदि हां, तो क्या सराकर वर्णित प्रखंड में अमीन को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति शुरू कराना

*3269. श्री राम प्रवेश राय––क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली बाजार में पानी टंकी निर्माण का कार्य वर्ष 2090 से स्वीकृत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बरौली बाजार में पानी टंकी से जलापूर्ति नहीं होने के कारण आम लोगों को पीने हेतु पानी के लिये परेशानी उठानी पड़ती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरौली बाजार मे पानी टंकी का निर्माण कराकर जलापूर्ति शुरू कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3270. श्रीमती (डॉ०) रंजु गीता--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव एवं नानपुर प्रखंड स्थित नानपुर में पानी टंकी का निर्माण विगत पाँच वर्षों से अधूरा रहने के कारण पानी टंकी को चालू नहीं किया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पानी टंकी के निर्माण कार्य को शेष पूरा कर पानी आपूर्ति कराने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*3271. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला में विद्युत् ताप शवदाह गृह नहीं है, यदि हां तो क्या सरकार गया जिला में विद्युत् ताप शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3272. श्री विक्रम कुँवर--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला रघुनाथपुर विधान-सभा क्षेत्र में 8 (आठ) मिनी पानी टंकी सोलर लाइट सहित पूरे राज्य में निर्माण करने का निर्णय 2006-07 में लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि टंकी निर्माण की जवाबदेही लोयालपुंज कम्पनी को दिया गया है जो अभीतक निर्माण नहीं हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अभीतक निर्माण नहीं कराने के कारण की जाँच कर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गोदाम का निर्माण

*3273. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत 238 पैक्सों एवं 12 व्यापार मंडलों हेतु मात्र 61 जीर्ण-शीर्ण गोदाम अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि धान अधिप्राप्ति के भंडाकरण हेतु शेष 189 गोदाम की आवश्यकता है;

(3) क्या यह बात सही है कि गोदाम के अभाव में धान अधिप्राप्ति के भंडाकरण में काफी कठिनाई हो रही है, जिससे अधिप्राप्ति की गति धीमी है, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भंडारण हेतु शेष जगहों पर गोदाम निर्माण का इरादा रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 21 मार्च, 2013 (ई०) ।

फुल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि० स० मु० (एल०ए), 283--डी०टी०पी०--450